राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 120/2019

मधुसूदन भट्ट **–अपीलार्थी**

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, खान एवं पेट्रोलियम विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, खान एवं भू–विज्ञान विभाग, राजस्थान, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 31.01.2019
आदेश की दिनांक : 22.10.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री राजेश राज कुमावत, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 16.11.2018 को अपास्त फरमाया जावे और प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिये जावें कि रिक्ति वर्ष 2018–19 के विरूद्ध वरिष्ठ भू–वैज्ञानिक के पद पर पदोन्नति हेतु अपीलार्थी के नाम पर विचार किया जावे और 5 वर्ष का अनुभव दिनांक 01.04.2013 से गणना करते हुये अपीलार्थी को वरिष्ठ भू–वैज्ञानिक के पद पर पदोन्नत किया जावे तथा समस्त पारिणामिक लाभ आदि भी प्रदान किये जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति खनि कार्यदेशक के पद पर आदेश दिनांक 23.11.1982 के द्वारा हुई थी और आदेश दिनांक 09.11.2012 के द्वारा अपीलार्थी को वरिष्ठ खनि कार्यदेशक ग्रेड प्रथम के पद पर रिक्ति वर्ष 2009–10 के विरूद्ध पदोन्नत किया गया और रिक्ति वर्ष 2013–14 के विरूद्ध भू–वैज्ञानिक के पद पर अपीलार्थी को पदोन्नत किया

गया। अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग को अनेको बार अभ्यावेदन प्रस्तुत किये और कथन किया कि वह वरिष्ठ भू–वैज्ञानिक के पद के लिये रिक्ति वर्ष 2018–19 के विरूद्ध पात्र है और उसके नाम पर पदोन्नति हेतु विचार किया जावे। चूंकि वह 5 वर्ष का भू–वैज्ञानिक पद का अनुभव भी पूर्ण कर चुका है तथा दिनांक 30.09.2018 को अपीलार्थी राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त होने जा रहा है और इस प्रकार अपीलार्थी वरिष्ठ भू–वैज्ञानिक पद के लिये पदोन्नति हेतु पूर्ण योग्यता एवं पात्रता रखता है। वर्ष 2017–18 से सामान्य वर्ग की वरिष्ठ भू–वैज्ञानिक पद के 3 रिक्त पद भी हैं और प्रत्यर्थी विभाग डीपीसी आयोजित करने जा रहा है। अतः अपीलार्थी को भी उक्त पद पर पदोन्नति प्रदान की जावे, परंतु विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है, जो नियम विरूद्ध है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 16.11.2018 को अपास्त फरमाया जावे और प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिये जावें कि रिक्ति वर्ष 2018–19 के विरूद्ध वरिष्ठ भू–वैज्ञानिक के पद पर पदोन्नति हेतु अपीलार्थी के नाम पर विचार किया जावे और 5 वर्ष का अनुभव दिनांक 01.04.2013 से गणना करते हुये अपीलार्थी को वरिष्ठ भू–वैज्ञानिक के पद पर पदोन्नत किया जावे तथा समस्त पारिणामिक लाभ आदि भी प्रदान किये जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुये यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी को वर्ष 2013–14 की रिक्तियों के विरूद्ध भू–वैज्ञानिक के पद पर पदोन्नत किया गया और दिनांक 01.04.2014 से काल्पनिक वेतन निर्धारण कर उपस्थिति पश्चात् दिनांक 02.08.2018 से वित्तीय लाभ दिये गये हैं। अपीलार्थी वर्ष 2018–19 में वरिष्ठ वैज्ञानिक के पद पर पदोन्नति हेतु वांछित कार्यानुभव पूर्ण नहीं होने के कारण पात्र नहीं है। क्योंकि अपीलार्थी को भू–वैज्ञानिक के पद पर आवंटित पदोन्नति वर्ष 2013–14 में आवंटित भू–वैज्ञानिक का पद दिनांक 09.05.2013 को नव सृजित होने पर रिक्त उपलब्ध हुआ और रिक्त पद होने के कारण परिपत्र दिनांक 31.03.2015 के अनुसार वर्ष 2013–14 कार्यानुभव में गणना हेतु मान्य नहीं है। इसलिये अपीलार्थी भू–वैज्ञानिक के पद पर 5 वर्ष का वांछित कार्यानुभव पूर्ण नहीं होने के कारण वर्ष 2018–19 में वरिष्ठ भू–वैज्ञानिक के पद पर पदोन्नति हेतु पात्र नहीं है। इससे अपीलार्थी को उक्त पद पर पदोन्नति प्रदान नहीं की गई। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति खनि कार्यदेशक के पद पर आदेश दिनांक 23.11.1982 के द्वारा हुई थी और आदेश दिनांक 09.11.2012 के द्वारा अपीलार्थी को वरिष्ठ खनि कार्यदेशक ग्रेड प्रथम के पद पर रिक्ति वर्ष 2009–10 के विरूद्ध पदोन्नत किया गया और रिक्ति वर्ष 2013–14 के विरूद्ध भू–वैज्ञानिक के पद पर अपीलार्थी को पदोन्नत किया गया। जहां तक अपीलार्थी को रिक्ति वर्ष 2018–19 के विरूद्ध वरिष्ठ भू–वैज्ञानिक के पद पर पदोन्नत नहीं किये जाने का प्रश्न है, हम अपीलार्थी के इस तर्क से सहमत नहीं हैं कि अपीलार्थी को भू–वैज्ञानिक के पद पर 5 वर्ष का अनुभव वरिष्ठ भू–वैज्ञानिक के पद पर पदोन्नति के लिये पूर्ण हो चुका है। चूंकि अपीलार्थी को भू–वैज्ञानिक के पद पर आवंटित पदोन्नति वर्ष 2013–14 में अपीलार्थी को आवंटित भू–वैज्ञानिक का पद दिनांक 09.05.2013 को नव सृजित होने पर रिक्त पद उपलब्ध हुआ और दिनांक 09.05.2013 रिक्त पद उपलब्ध होने के कारण कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 04.06.2008 के बिंदु संख्या 15.1 एवं समसंख्यक परिपत्र दिनांक 31.03.2015 के अनुसार वर्ष 2013–14 में कार्यानुभव में गणना हेतु मान्य नहीं है। इस प्रकार हमारे मत में रिक्ति वर्ष 2018–19 में अपीलार्थी भू–वैज्ञानिक के पद का अनुभव 5 वर्ष पूर्ण नहीं माने जाने योग्य है। अतः हम प्रत्यर्थी विभाग के इस तर्क से सहमत हैं कि अपीलार्थी रिक्ति वर्ष 2018–19 के विरूद्ध वरिष्ठ भू–वैज्ञानिक के पद पर पदोन्नति हेतु भू–वैज्ञानिक के पद पर 5 वर्ष का अनुभव पूर्ण नहीं रखता है। अतः अपीलार्थी के उक्त तर्कों में हमें कोई बल प्रकट नहीं होने के कारण अपील खारिज फरमाये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष